कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–दंडाधिकारी, रजौली (नवादा)।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिला के रजौली अनुमंडल अंतर्गत सैरातों की बंदोवस्ती का सुरक्षित जमा निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए जिला पदाधिकारी, नवादा के आदेश ज्ञापांक–206/रा0, दिनांक 07.05.2014 द्वारा एवं ज्ञापांक– 211/रा0, दिनांक–10.05.2014 द्वारा किया गया है, जिसके आलोक में निम्नलिखित सैरातों की बंदोवस्ती वर्ष 2015–16 के लिए दिनांक–27.03.2015 को 11:00 बजे पूर्वा0 में खुला डाक द्वारा किया जाएगा। उस दिन बन्दोवस्ती नहीं होने पर पुनः दिनांक 30.03.15 को 11:00 बजे पूर्वा0 में खुला डाक से बंदोवस्ती की जाएगी।

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि
1	2	3	4
1	सिरदला	लौन्द चमोथा बाजार	16,388/–
2	रजौली	अमावाँ साप्ताहिक हाट	39,477/–
3	रजौली	मुरहेना साप्ताहिक हाट	24,829/–
4	गोविन्दपुर	ककोलत मेला	7590/–
5	नरहट	चाँदनी चौक हाट	11684/–
6	मेसकौर	मेसकौर साप्ताहिक हाट	16935/–
7	मेसकौर	सीतामढ़ी साप्ताहिक हाट	42090/–

बंदोवस्ती की शर्त्त निम्न प्रकार है :–

1. डाकवक्ताओं को निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत की राशि नकद अथवा बैंक ड्रॉफ्ट, जो अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली को भुगतेय हो, जमा करना होगा।

2. बंदोवस्ती खुला डाक पद्धति से की जाएगी।

3. डाक की बोली खोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।

4. बंदोवस्ती होने की स्थिति में बंदोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बंदोवस्ती की राशि का 100 प्रतिशत डाक के तुरंत बाद ही जमा करना होगा, अन्यथा ली गई बंदोवस्ती रद्द कर दी जाएगी।

5. मेला/हाट/सब्जी बाजार में टाल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल करना होगा।

6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती को स्थगित करने, बंदोवस्ती की तिथि बदलने अथवा बंदोवस्ती को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7. उच्चतम डाकवक्ता को परवाना निर्गत करने के पूर्व एकरारनामा का निबंधन अपने व्यय पर करना होगा।

8. पूर्व के वर्षो में जिस व्यक्ति के नाम से बन्दोवस्ती हुई है और यदि इनके पास कोई भी राशि बकाया रह गई है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

[signature] 4/03/15

अनुमंडल पदाधिकारी,
रजौली।

ज्ञापांक 630 / दि० 24.03.2015

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौली अनुमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि बंदोवस्ती हेतु अपने स्तर से व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मेसकौर को निदेश दिया जाता है कि विगत वर्ष के बंदोवस्तकार को भी सूचना का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रजौली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
रजौली।